संख्या–3237/77–4–20–16एलसी/18

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे
गीडा/सीडा/लीडा एवं यूपीसीडा

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक २१ सितम्बर, 2020

विषयः–**उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020 में भूमि हेतु किये गये प्राविधान को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–1256/78–1–2020–05आई0टी0/2020, दिनांक 08.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020 के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 08.09.2020 द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए निम्नवत् प्राविधान किये गये है :–

5.5	भूमि हेतु प्राविधान	5.5	**Provision of Land**
(i)	ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम. पार्क्स की एस.पी.वी./पी.आई.ए. तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाईयों को मध्यॉचल तथा पश्चिमॉचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।	(i)	25% Land subsidy on prevailing sector rates shall be provided to SPV/PIA of EMC/ESDM Parks and individual ESDM units on purchase of land from state agencies in Madhyanchal and Paschimanchal regions.
(ii)	ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम. पार्क्स की एस.पी.वी./पी.आई.ए. तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों	(ii)	50% Land subsidy on prevailing sector rates shall be provided to

	को बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।		SPV/PIA of EMC/ESDM Parks and individual ESDM units on purchase of land from state Agencies in Bundelkhand and Purvanchal regions
(iii)	उपरोक्त (i) व (ii) पर उल्लिखित भूमि उपादान निवेशकों को कुल परियोजना लागत के 7.5 प्रतिशत अथवा रू0 75 करोड, जो भी कम हो, की सीमा तक, प्रदान किया जाएगा। इस उपादान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण को निवेशक के द्वारा इकाई/ परियोजना के व्यावसायीकरण उपरान्त, नीति की अवधि में वास्तविक उपयोग के आधार पर विभिन्न चरणों में किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा इस उपादान का समायोजन इकाई की भुगतान योजना के सापेक्ष किया जायेगा।	(iii)	Land subsidy provided in (i) & (ii)above shall be limited to 7.5% of the total project cost or INR 75 Cr, whichever is less. Subsidy shall be paid by the State Government to the concrned Authority post commercialization of the unit/project in proportion to the area of the land utilized in phases within the policy period. The Authority shall adjust the subsidy in payment plans of the enterprise.
iv)	फ्लोर एरिया रेशियोः– इकाइयों को 3.0+1.0(क्रय योग्य)फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमन्यता होगी।	(iv)	Floor Area Ratio (FAR): Units will be allowed for 3.0+1.0(Purchasable) FAR
(v)	कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज तथा कल्याणकारी सुविधायें:– न्यूनतम 25 एकड़ भूमि	(v)	Dormitories for workers and welfare facilities: Up to 30% of total FAR in

क्षेत्र में "इण्डस्ट्रियल लैण्ड यूज" में 30 प्रतिशत के कुल फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा तक भूमि का उपयोग कल्याणकारी सुविधाओं यथा कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज, कैण्टीन, डिस्पेन्सरी आदि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।	minimum 25 acre of land size in "Industrial land use" shall be allowed for welfare facilities like dormitories for workers, canteen, dispensary, etc.
5.8.1 विकासकर्ताओं हेतु प्रोत्साहन (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।	5.8.1 Incentives for Developers (i) ..... (ii) ..... (iii) ..... (iv) Land subsidy will be available as per para 5.5 of the policy.
5.8.2 **एकल इकाइयों हेतु प्रोत्साहन** (i) एँकर इकाइयों की प्रतिबद्धता कम से कम 20 प्रतिशत बिकी योग्य भूमि तथा न्यूनतम निवेश रू0 300 करोड़ तथा अधिकतम निवेश रू0 750 करोड़ होनी चाहिए। (ii) एँकर इकाइयों को उनके 20 प्रतिशत भू–क्षेत्र में बिना सब–लीज अथवा हस्तान्तरण शुल्क के वेण्डर इकाइयाँ स्थापित किए जाने की अनुमति होगी। (iii) ई.एम.सी. के विकास उपरान्त एस.पी.वी. से एकल इकाइयों के पक्ष में भूमि हस्तान्तरण पर सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा कोई फीस/शुल्क प्रभारित नहीं किया	5.8.2 Incentives for Individual Units (i) Anchor unit's commitment should be at least 20% of the saleable land and minimum investment of INR 300 Cr and not exceeding INR 750Cr. (ii) Anchor units will be allowed to install vendor units in 20% of their land area without any sublease or transfer charges. (iii) No fees/charges shall be levied by the respective Authority on transfer of land from SPV/PIA to individual units after EMC development.

जायेगा। (iv) यदि एस.पी.वी./पी.आई.ए. द्वारा पहले ही नीति की धारा 5.8.1 के अनुरूप, भूमि उपादान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो तो इकाइयों को भूमि उपदान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।	(iv) Units will get land subsidy as per para 5.5 of the Policy, only if the land subsidy is not already availed by SPV/PIA in terms of para 5.8.1
5.9 **प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क्स** (i) भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी। (ii) सम्बन्धित प्राधिकरण से सिंगल विन्डो सहायता तथा प्रत्येक पार्क हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना। (iii) ..... (iv) भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर, प्रथम ट्रांजेक्शन पर 100 प्रशित तथा द्वितीय ट्रांजेक्शन पर 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी से छूट। स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा।	5.9 Private ESDM Parks (i) Land subsidy will available as per Para 5.5 of the Policy. (ii) Single Window Assistance from concerned authority and nomination of Nodal Officer for every park (iii) ..... (iv) 100% exempation of Stamp Duty for purchase/lease of land on first transaction and 50% on second transaction. Stamp duty exemption will be given against Bank Guarantee, which will be released upon commencement of commercial production.

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्राविधानों को कृपया अपने प्राधिकरण में लागू करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध मे उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2017 के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पूर्व शासनादेश संख्या–1269/77–4–18–16एलसी/18, दिनांक 17.07.2018, शासनादेश संख्या–1873/77–4–18–16एलसी/18, दिनांक 20 अगस्त, 2018 एवं शासनादेश

संख्या–3049/77–4–18–16एलसी/18, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 के प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे और उक्त नीति के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं पर लागू होंगे।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–3237 (1)/77–4–20तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 लखनऊ।
4. समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव।